

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड  
(वाणिज्य विभाग)

कार्यालय आदेश- Com/Resolution -84/13 / 1311

दिनांक 10.06.2013

विषय :- उच्च विभव तथा एचटीएसएस उपभोक्ताओं के मासिक मान पठन के लिए मान पठन दल का पुर्नगठन।

**Subject:- Re-constitution of Monthly Meter Reading Teams for High Tension and HTSS Consumers.**

वर्तमान में उच्च विभव (HT) तथा एचटीएसएस (HTSS) श्रेणी के उपभोक्ताओं के मासिक मान पठन के लिए गठित मान पठन दल ने सामान्यतः विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, एम0 आर0 टी0 प्रमण्डल, विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल तथा सहायक विद्युत अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल होते हैं। पिछले अनेक वर्षों में उच्च विभव (HT) तथा एचटीएसएस (HTSS) उपभोक्ताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण अब ऐसे उपभोक्ताओं का मासिक मान पठन महीने के आखिरी दो-तीन दिन में एमआरटी प्रमण्डल के पदाधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति अंचल के अधीन कार्यरत अन्य विद्युत आपूर्ति प्रमण्डलों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा संभव नहीं है।

इस कारण उच्च विभव (HT) तथा एचटीएसएस (HTSS) उपभोक्ताओं के मासिक मान पठन नियमानुसार करने में कठिनाई हो रही है तथा ऐसे उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण एक महीने से अधिक अथवा कम अवधि के लिए होने की संभावना होती है जिसके कारण उपभोक्ताओं के न्यूनतम मासिक उपभोग तथा अधिकतम भार के निर्धारण में भी त्रुटि की संभावना बनी रहती है। साथ ही ऐसी स्थिति में ऐसे उपभोक्ताओं में असंतोष भी होता है।

अतः उपभोक्ता सद्भाव एवं उपभोक्ताओं के हित में उच्च विभव (HT) एवं एचटीएसएस (HTSS) के उपभोक्ताओं के मासिक मान पठन के लिए निम्न प्रावधान किए जाते हैं :-

- I. विद्युत आपूर्ति अंचल के मुख्यालय से भिन्न अन्य स्थानों पर अवस्थित विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल द्वारा उच्च विभव (HT) तथा एचटीएसएस (HTSS) उपभोक्ताओं का मान पठन निम्नलिखित पदाधिकारियों के दल द्वारा प्रतिमाह किया जायेगा :-
  - (क) संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल के विद्युत कार्यपालक अभियन्ता।
  - (ख) संबंधित विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल के सहायक विद्युत अभियन्ता।
  - (ग) संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रशाखा के कनीय विद्युत अभियन्ता।
- II. विद्युत आपूर्ति अंचल के मुख्यालय में अवस्थित विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल द्वारा उच्च विभव तथा एचटीएसएस उपभोक्ताओं के मासिक मान पठन की वर्तमान व्यवस्था चालू पूर्ववत् ही जारी रहेगी।

यह आदेश दिनांक 01.06.2013 के प्रभाव से प्रभावी होगा। इस पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-  
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)